

प्रेस नोट



(अभियुक्त हरदेव सिंह)



(अभियुक्त गुरुदेव सिंह)



(अभियुक्त महताब सिंह)

थाना दियोरिया कलां पर पंजीकृत मु0अ0सं0 19/21धारा 60(2) आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. हरदेव सिंह पुत्र गुरमीत सिंह उम्र 20 वर्ष 2. गुरुदेव सिंह पुत्र गुरमीत सिंह उम्र 21 वर्ष निवासीगण ग्राम शीतलपुर थाना बिलसण्डा जिला पीलीभीत 3. महताब सिंह पुत्र कश्मीर सिंह उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम करैया खुर्द थाना बिलसण्डा जिला पीलीभीत आज दिनांक 16.01.2021 व0उ0नि0 श्री विपिन कुमार व उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह मय पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त के कब्जे से 210 लीटर अवैध कच्ची शराब खाम व शराब बनाने के समस्त उपकरण नदी के किनारे झाड़ी के पास ग्राम न्यूरानपुर से बरामद किये ।

(